न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीना,

प्रार्थना पत्र संख्याः–45 / प्रा0पत्र / 2024 (GCMS NO.2024 / 317) दायरा दिनांक :– 26.12.2024

1.राजस्थान स्टैट औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0(रीको लि0) जर्ये क्षेत्रीय प्रबधक रीको, बून्दी(राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, के तहत वास्ते तरमीम दुरस्ती।

वकील प्रार्थीः– श्री फतेह सिंह आशावत
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 12.02.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रीको राजस्थान सरकार का एक ओद्योगिक विकास उपक्रम है। जिसका प्रमुख कार्यालय बून्दी मुख्यालय रीको एरिया बाई पास रोड पर स्थित है। जिसका जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्रीय प्रबन्धक है। यह कि प्रार्थी को औद्योगिक विकास हेतु तहसील नैनवां जिला बून्दी में राज्य सरकार द्वारा भूमि खसरा संख्या 6220 / 2531, 6224 / 2521, 6227 / 2522, 6229 / 2531, 6231 / 2596 कुल किता 5 कुल रकबा 17.434 हैक्टेयर आंवटित हुई थी। जिसका आवंटन पत्र, लीजडीड, जमाबंन्दी नकल, कब्जा प्राप्ति पत्र, तरमीम नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 लगायत 5 है। यह कि प्रार्थी द्वारा औद्योगिक उद्धेश्य मुताबिक भूमि को डवलप किया जा रहा हैं। इसी हेतु खसरा संख्या 6228 / 2522 में आवागमन हेतु सडक निर्माण करवाया जा चुका है। इस पर आवागमन बहाल है जो सडक की भूमि रिकार्ड में सिवायचक है। जिसका मौके पर मुताबिक निर्मित सडक मार्ग हेतु तरमीम रिकार्ड किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु नक्शा ट्रेस मार्ग चिन्हित कर इस मुताबिक तरमीम हेतु प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट 5 के रूप में सादर पेश है। जो अप्रार्थी मार्ग हेतु मौजूद सिवायचक भूमि का जिम्मेदार अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के नैनवां स्थित औद्योगिक क्षेत्र के निर्मित सडक मार्ग को भूमि खसरा संख्या 6228 / 2522 में संलग्न नक्शा ट्रेस परिशिष्ट 5 मुताबिक मार्ग को जर्ये तरमीम रिकार्ड में अंकित करने की कृपा करे।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां द्वारा पत्रांक :– 446 दिनांक :– 31.01.2025 द्वारा जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नैनवां द्वितीय के आराजी खसरा संख्या 6227 / 2522 रकवा 1.9416 हैक्टेयर की भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको लिमिटेड) के नाम 99 वर्ष के लिए खाता संख्या 1 में लीज दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे से होकर वर्तमान समय में रीको का रोड वन रहा है। जिसका खसरा नम्वर 6227 / 2522 के दक्षिणी–पश्चिम कोने पर रीको के प्रतिनिधि उमेश चौधरी के बताये अनुसार रीको के रोड की चौडाई कम पड रही है। जिसको चौडा करने के लिए खसरा नम्बर 6227 / 2522 की तरमीम को उत्तर–पश्चिम दिशा से कम करनी पडेगी जिसका माप 0.0303 हैक्टेयर है। ग्राम नैनवां द्वितीय के आराजी खसरा संख्या 6228 / 2522 रकवा 9.3661 हैक्टेयर की भूमि जमावन्दी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 1 में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। रीको के रोड की कम चौडाई को खसरा न0 6228 / 2522 रकवा 9.3661 हैक्टेयर की भूमि में 0.0303 हैक्टेयर की भूमि की तरमीम शुद्ध करना है। प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र में दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्ध करने का आदेश प्रदान किया जाना धारा 131 एल0आर0 एक्ट के तहत न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम नैनवां द्वितीय की भूमि खसरा संख्या 6227/2522 की तरमीम मे से उत्तर–पश्चिम दिशा से 0.0303 हेक्टेयर कम करते हुए दक्षिण–पश्चिम दिशा में 0.0303 हेक्टेयर बढाते हुए लाल स्याही से अंकित मुताबिक प्रस्तावित नक्शा जिसे परिशिष्ट ''क'' नाम दिया गया है, के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 12.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

(प्रीति मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 30/01/2025 11:07:18 AM

तहसील : नैनवा

ग्राम : नैनवाँद्वितीय

जिला : बूँदी

हल्का : नैनवाँद्वितीय

भू. अ. नि. क्षेत्र : नैनवाँ

परिशिष्ट - "क"

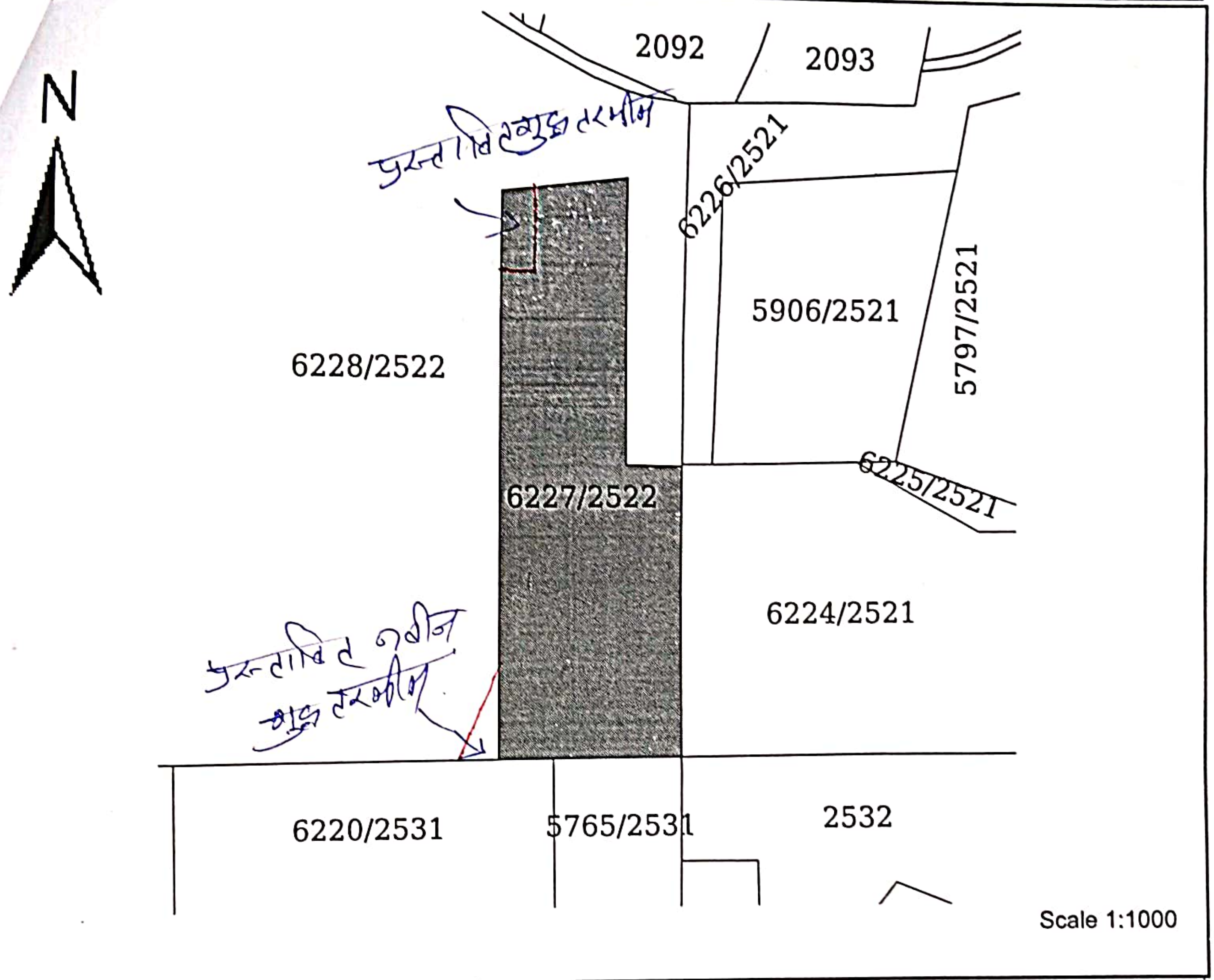

खसरा संख्या :6227/2522 क्षेत्रफल : 1.9416 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[प्रति हेक्टेयर लगान]:

राज सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।